उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

28/6/17 पत्रावली न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट रीछड़ा मे प्रस्तुत हुई। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित / एकतरफा किया जाता है विपक्षी नं ① व ② के खिलाफ एकतरफा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, [illegible]

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 76/2017

1. प्रेमदेवी पत्नी रामगोपाल माली, निवासी 362, संजय कोलोनी भीलवाडा। –प्रार्थिया

बनाम

1. लादुलाल पिता उगमा गुर्जर, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
2. शंकर पिता उगमा गुर्जर, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 28.06.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 06.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालसांस, पटवार हल्का रीछडा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 1803 रकबा 01–04 बीघा, आराजी संख्या 1804 रकबा 01–01 बीघा, आराजी संख्या 1806 रकबा 0–11 बीघा, आराजी संख्या 1805 रकबा 0–02 बीघा, आराजी संख्या 1807/1 रकबा 0–04–10 बीघा, आराजी संख्या 1808 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 03–19–10 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थिया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कालसांस, पटवार हल्का रीछडा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 1803 रकबा 01–04 बीघा, आराजी संख्या 1804 रकबा 01–01 बीघा, आराजी संख्या 1806 रकबा 0–11 बीघा, आराजी संख्या 1805 रकबा 0–02 बीघा, आराजी संख्या 1807/1 रकबा 0–04–10 बीघा, आराजी संख्या 1808 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 03–19–10 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थिया इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/– अक्षरे चार सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर